मु. नं. 27 / 2024

24.09.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीया उप.। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही लाई जाती है। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सेड़िया पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसील सांचौर के खाता संख्या 38 के खेत खसरा नम्बर 540 रकबा 1.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 559 रकबा 1.92 हैक्टयर, जुमले रकबा 3.11 हैक्टयर जिसमें प्रार्थीया का 1/3 में से 1/5 हिस्सा जन्मसिद्व हक हकुक आया है, मौजा कबुली ढाणी खेत खाता संख्या 42 के खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1083 रकबा 2.70 हैक्टयर जुमले रकबा 2.74 हैक्टयर जिमसें प्रार्थीया का 1/3 में से 1/5 हिस्सा जन्मसिद्व हक हकुक आया हुआ है। प्रार्थीया का मौके पर पुश्तैनी कब्जा काश्त आया हुआ है। उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की आराजी के प्रत्येक खसरे के प्रत्येक कण कण में हम प्रार्थीया का जन्म से ही हक हकुक का अधिकार निहित है प्रार्थीया के पिता को अपने हिस्से से अधिक दान करने का कानूनी अधिकार खतरे में पड़ गये है। इस कारण प्रार्थीया हमेशा के लिए अपने जन्मसिद्व हक हकुक से वंचित रह जाएगी। प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यो में संभव नही है। प्रार्थीया के हक हकुक के सुरक्षारर्थ अप्रार्थीगण को अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्ध किया जाकर रोका जाना न्याय हित में अति आवश्यक है।

हमनें वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है कि सेड़िया पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसील सांचौर के खाता संख्या 38 के खेत खसरा नम्बर 540 रकबा 1.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 559 रकबा 1.92 हैक्टयर, जुमले रकबा 3.11 हैक्टयर व मौजा कबुली ढाणी खेत खाता संख्या 42 के खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1083 रकबा 2.70 [illegible] जुमले रकबा 2.74 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड [illegible] मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर [illegible] से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.27 16:51:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner